Swadeshi Research Foundation A Monthly Journal of Multidisciplinary Research
International Peer Reviewed, Refereed, Indexing & Impact Factor - 5.2, Ex- UGC S.N. 4990
ISSN : 2394-3580, Vol. - 12, No. – 4, February - 2025, Conference Special Issue 2nd
2025

भारत में पर्यावरण : एक अध्ययन

Ranjeet Kumar Soni
Assistant Professor, Department of Geography,
Gopinath Singh Mahila Mahavidyalaya, Garhwa, Jharkhand

भारत में लोकमंगल की कामना को व्यक्त करते हुए ऋषियों ने कहा "सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः" जिसका अर्थ है सब सुखी हों और सभी निरोगी हों। इस 'सर्व' की व्याप्ति केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वह सब कुछ आता है, जिससे हमारा दैहिक, दैविक, और भौतिक भविश्य जुड़ा हुआ है। मनुष्य का अस्तित्व उसके परिवेश, पर्यावरण और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई तरह के प्रामाणिक प्रयास भी हो रहे हैं, धर्मभावना से प्रकृति व पर्यावरण को जोड़ कर उनके साथ सुसंगत जीवन जीने का संदेश दिया जा रहा है जो स्वागत योग्य है। लेकिन आधुनिकता की दौड़ और स्वार्थीपर में मनुष्य उपभोक्ता वादी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें खरीदो, खाओ और फेंकों जैसी जीवनशैली हमारे स्वास्थ्य के साथ–साथ पर्यावरण को भी दुष्प्रभावित कर रही है।

प्रत्येक जीव का एक विशिष्ट परिवेश होता है जिसके साथ वह परस्पर क्रिया करता है। अपना भोजन प्राप्त करता है और जिसके प्रति वह पूर्णतः अनुकूलित होता है। यह परिवेश पर्यावरण है। पर्यावरण शब्द हमारे मन में भूदृश्य जैसे मृदा, जल, पर्वत, मरूस्थल के व्यापक आयाम को प्रदर्शित करते हैं

पर्यावरण के दो पहलू हैं। एक है बाहरी पर्यावरण जिमसे जन, जल, जंगल, जमीन और जानवर आदि सम्मलीत है और दूसरा है आंतरिक पर्यावरण है जिसमे हमारी आत्मा और मन से संबंधित है। चूंकि दोनों ही प्रकृति या परमात्मा के बनाये हुए हैं इसलिए दोनों में एक तरह की समानता है। बाहरी पर्यावरण के प्रदूषण तुरंत ध्यान में आता है, क्योंकि हमारे जीवन के सुख–सुविधायें और उपभोग के स्तर उससे तुरंत प्रभावित होते हैं। परंतु बाहरी प्रदूषण से पहले आंतरिक प्रदूषण पैदा होता है और वही बाहरी प्रदूषण का कारण बनता है। जब मनुष्य के मन में विकार और लालसायें उत्पन्न होती हैं, तब यह मानसिक विकार आंतरिक प्रदूषण को जन्म देता है। यह आंतरिक प्रदूषण ही हमें सदाचरण और संयम से दूर करके कदाचरण अैर असीमित उपभोग और उसके लिए प्रकृति के अमर्यादित शोषण की ओर धकेलता है।

यह सर्वविदित है कि जब ईश्वर ने ब्रहमांड की रचना की तब पृथ्वी का उद्भव हुआ इसके बाद प्रकृति ने हमें सुन्दर, मनमोहक और स्वच्छ पर्यावरण का उपहार दिया। इससे मानव का विकास भी निरंतर हुआ। पर्यावरण में स्वच्छ जल, हरे–भरे छायादार वृक्ष, फल–फूल, नदी, झरने, पहाड़, वन आदि का उपभोग करके मानव निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होता गया। मानव अपने विकास की दौड़ में इतना तेज भागने लगा कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने पर्यावरण को कितना नुकसान पंहुचा दिया है। यूँ तो भारत में पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, लेकिन अन्य कारकों के अतिरिक्त सिंगल यूज प्लास्टिक एक बहुत बड़ा कारक है, जिसके द्वारा पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुँच रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के सभी उत्पादों को सड़न–गलने में अत्यधिक समय लगता है। ये भूमि में कई वर्षों तक पड़े रहते हैं जो मिट्टी एवं जल दोनों को प्रदूषित करते हैं, जिसके दुष्प्रभाव से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है।

सिंगल यूज प्लास्टिक से अभिप्राय ऐसे प्लास्टिक उत्पाद से है जो एक बार इस्तेमाल करने के पश्चात साधारणतः दोबारा उपयोग में नहीं लाए जा सकते एवं उन्हें ऐसे ही खुले वातावरण में फेंक दिया जाता है, उदाहरणतः प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक स्ट्रॉ, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक के कटलरी आइटम्स, जैसे चम्मच, कप, गिलास, कांटे, स्नैक्स के पैकेट इत्यादि।

सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध :– सिंगल यूज प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग के कारण पर्यावरण में उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकना अति आवश्यक है। अतः पर्यावरण को इस भयानक प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2022 से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। प्लास्टिक अपशिष्ट के जलने से निकलने वाला धुआँ हवा में विषैली गैस का रिसाव करता है जो पर्यावरण के लिए अति नुकसानदायक है। सिंगल यूज प्लास्टिक से फैलने वाले

अपशिष्ट से भूमि एवं जल प्रदूषित हो रहा है एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। प्लास्टिक के विभिन्न उत्पादों की वजह से पृथ्वी पर रहने वाले जीव–जंतुओं के साथ–साथ समुद्री जीवों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। सिंगल यूज प्लास्टिक से निकले रसायनों से उपजाऊ भूमि लगातार बंजर होती जा रही है। प्लास्टिक बैग एवं अन्य उत्पादों से नालियों एवं सीवरों के जाम होने की समस्याओं में निरंतर वृद्धि हो रही है जिससे मानव जीवन प्रभावित हो रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक एवं अन्य प्लास्टिक उत्पादों के निरंतर उपयोग एवं उचित निस्तारण न होने की स्थिति में वह दिन दूर नहीं है कि हमारी पृथ्वी के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगे एवं समस्त पृथ्वी ही प्लास्टिक के आगोश में समा जाए।

आज समय आ गया है जब हमें सिंगल यूज प्लास्टिक की समस्या को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। कि ये प्लास्टिक के उत्पाद किस प्रकार पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं और किस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हानि पहुंचा रहे हैं तथा इनके घातक प्रभाव से पेड़–पौधों, जीव–जंतुओं, समुद्री जीवों तथा सम्पूर्ण मानव जाति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. इसे केवल सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूर्ण प्रतिबंध करके ही बचाया जा सकता है। अतः लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध का समर्थन करना चाहिए एवं लोगों को जागरूक करना चाहिए।

प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाली हानि :– प्लास्टिक थैले में मुख्यतः जाइलीन, एथीलीन ऑक्साइड एवं बेंजीन का प्रयोग होता है। यह सभी टॉक्सिक रसायन हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए घातक हैं। भूमि पर प्लास्टिक इकट्ठा होने पर वह लंबे समय तक गलती नहीं है। प्लास्टिक से भरे स्थान पर पौधे नहीं उगते हैं तथा यह भूमि की उर्वरा शक्ति को धीरे–धीरे समाप्त करती है। प्लास्टिक के थैले में फेंकी हुई खाद्य सामग्री को खाकर गाय,एवं अन्य जीव मर जाते हैं। नदियों या समुद्र के किनारे फेंकी गई पॉलीथीन थैली को खाकर मछलियां, कछुए एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। पॉलीथीन थैली या प्लास्टिक को जलाने पर जहरीली गैस निकलती है, जो वायुमण्डल के लिए हानिकारक है। पॉलीथीन या प्लास्टिक भूमि, जल एवं वायु तीनों के लिए अभिशाप है। धरती पर इसके गलने में 400 वर्ष से भी अधिक का समय लगता है। पॉलीथीन या प्लास्टिक का प्रयोग रोकने या कम करने की दिशा में मात्र राजकीय प्रयास पर्याप्त नहीं है। इसमे सभी की जनभगीदारी जरूरी है।

प्लास्टिक का प्रयोग कम करने की दिशा में हम निम्न प्रकार से सहयोग कर सकते हैं–

- पॉलीथीन के थैले का प्रयोग न करें। सब्जी लेने या अन्य किसी कार्य के लिए बाजार जाते समय कपड़े का थैला लेकर जाएं। प्लास्टिक के कप में चाय बिल्कुल न ग्रहण करें। नये अध्ययन यह बताते है कि प्लास्टिक के कप में चाय पीने से कैंसर जैसे रोग का खतरा बढ जाता है यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानीकारक है।
- पॉलीथीन स्थान पर मिट्टी के कुल्हड़ या गिलास आदि का प्रयोग करें। पॉलीथीन के थेले में भरकर कूड़ा या खाद्य पदार्थ कदापि इधर–उधर न फेंके। यदि अपरिहार्य परिस्थिति वश पॉलीथीन या प्लास्टिक फेंकना आवश्यक हो तो ऐसे स्थान पर फेंके जहां से रिसाइकिल हेतु उसे एकत्रित किया जा सके।
- जहां अत्यंत आवश्यक न हो पानी हेतु प्लास्टिक की बोतल का प्रयोग न करें। विवाह समारोह व अन्य अवसरों पर प्लास्टिक की प्लेट तथा कप के स्थान पर पत्तल, दोना तथा मिट्टी के कुल्हड़ के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए।
- जहां अत्यंत आवश्यक हो, प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोडेग्रेडेबल पदार्थों से बने बैग, कप आदि का प्रयोग किया जाए, जो मिट्टी में आसानी से गल जाते हैं।

औद्योगिक क्रांति ने उपभोग की परिभाषा और स्तर को बदल दिया। असीमित लालसाओं की पूर्ति के लिए सीमित नैसर्गिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग से बड़े संकटों को सामने खड़ा कर दिया। स्टॉकहोम में 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर्यावरण को एक प्रमुख मुद्दा बनाने वाला पहला विश्व सम्मेलन था। प्रतिभागियों ने पर्यावरण के अच्छे प्रबंधन के लिए कई सिद्धांतों को अपनाया जिसमें स्टॉकहोम घोषणा और मानव पर्यावरण के लिए कार्य योजना और कई प्रस्ताव शामिल थे।

स्टॉकहोम घोषणापत्र में 26 सिद्धांत शामिल थे, जिसने पर्यावरणीय मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं में सबसे आगे रखा गया तथा आर्थिक विकास, वायु, जल और महासागरों के प्रदूषण और विश्व भर के लोगों की भलाई के बीच संबंध पर औद्योगिक और विकासशील

देशों के बीच संवाद की शुरुआत की।

प्रकृति से हमने जो लिया है उसे हजार हाथों से लौटाना जरूरी है। इस लेन–देन की प्रक्रिया को ही हमारे यहाँ यज्ञ कहा गया है। लेकिन आज भारतीय समाज ही इस रास्ते से भटक रहा है। हमें फिर से इस रास्ते की ओर लौटना होगा। हमारा हर विलासितापूर्ण उपभोग पर्यावरण को गहराई तक दुष्प्रभावित करता है। प्रकृति के लिए जनभागीदारी आवश्यक है पर्यावरण प्रदूषण के लिए एक–दूसरे को जिम्मेदार ठहराने से काम नहीं चलेगा। हम सब इसके लिए जवाबदेह हैं। इसलिये इसे बचाना और सुधारना भी हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। हमें सोचना होगा कि व्यति व परिवार के रूप में हमारा आचरण प्रकृति सुसंगत है या नहीं? समाज के स्तर पर सोचना होगा कि हमारे उत्सव प्रकृ ति से सुसंवाद की मूल भावना से विपरीत जाकर कहीं विनाशक तो नहीं बन रहे? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विकास के पैमानों और परिभाषाओं पर पुनर्विचार की जरूरत है। विकास की मर्यादायें तय करने के बारे में भी विचार करना होगा, क्योंकि यदि विकास को एक सर्वभक्षी राक्षस बनने दिया जाएगा तो सारी मानव सम्यता को उसका ग्रास बनने से रोका नहीं जा सकेगा। इसलिए बात फिर उसी बिंदु पर आ टिकती है, प्रकृति की ओर देखने की हमारी दृष्टि कैसी हो? यजुर्वेद में कहा गया है– मित्रस्यमा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे।। अर्थात, सब मेरी ओर मित्रभाव से देखें। मैं भी प्रकृति को मित्र होकर देखूं। हम दोनों आपस में एक–दूसरे को मित्रवत देखें। पर्यावरण व प्रकृति के प्रति यह भारतीय दृष्टि यजुर्वेद में अभिव्यत हुई है। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए इस प्रार्थना को हमारे कर्म का समर्थन मिलना जरूरी है।

प्लास्टिक से उत्पन्न हुई इस समस्या के समाधान के लिये प्रयास :– प्लास्टिक प्रदूषण अब बड़ा रूप धारण कर चुका है। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि हम हर वर्श जितना प्लास्टिक उपयोग के बाद फेंक देते हैं उससे धरती को 4 बार घेरा जा सकता है। स्थिति की इस गंभीरता को समझते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में लोगों से प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने की अपील की थी। प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण के लिये किये गए प्रयास हेतु 73वें यूएन जनरल असेंबली ने चौंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी दिया गया। इन कार्यों में 2022 तक भारत से ऑल–सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाने की प्रतिज्ञा भी शामिल था जिसके लिए सरकार चरणबद्ध तरीके अपना रही है।

स्वतन्त्र भारत में पर्यावरण नीतियां तथा कानून :– भारतीय संविधान जिसे 1950 में लागू किया गया था परन्तु सीधे तौर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों से नहीं जुड़ा था। सन् 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन ने भारत सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर खिंचा। सरकार ने 1976 में संविधान में संशोधन कर दो महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद 48ए तथा 51ए जोड़ें। अनुच्छेद 48ए राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करें तथा देश के वनों तथा वन्यजीवन की रक्षा करें। अनुच्छेद 51ए जी नागरिकों को कर्त्तव्य प्रदान करता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करे और सभी जीवधारियों के प्रति दयालु रहे। स्वतंत्रता के पश्चात् बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर कमी आती गई। पर्यावरण की गुणवत्ता की इस कमी में प्रभावी नियंत्रण व प्रदूषण के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने समय–समय पर अनेक कानून व नियम बनाए। इनमें से अधिकांश का मुख्य आधार प्रदूषण नियंत्रण व निवारण था।

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने दिसम्बर 2004 को राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 का ड्राफ्ट जारी किया है। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि समस्याओं को देखते हुए एक व्यापक पर्यावरण नीति की आवश्यकता है। साथ ही वर्तमान पर्यावरणीय नियमों तथा कानूनों को वर्तमान समस्याओं के सन्दर्भ में संशोधन की आवश्यकता को भी दर्शाया गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के निम्न मुख्य उद्देश्य रखे गए हैं–

- संकटग्रस्त पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण करना
- पर्यावरणीय संसाधनों पर सभी के विशेषकर गरीबों के समान अधिकारों को सुनिश्चित करना।
- संसाधनों का न्यायोचित उपयोग सुनिश्चित करना ताकि वे वर्तमान के साथ–साथ भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सके।
- आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के निमार्ण में पर्यावरणीय सन्दर्भ को ध्यान में रखना।
- संसाधनों के प्रबंधन में खुलेपन, उत्तरदायित्व तथा भागीदारिता के मूल्यों को शामिल करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति विभिन्न संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न तकनीकों को अपनाकर करने का प्रावधान किया गया है। इनकी प्राप्ति के लिए सरकार, स्थानीय समुदाय तथा गैर सरकारी संगठनों की साझी भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है।

आवश्यक है पर्यावरण शिक्षा :– पर्यावरणीय शिक्षा को पर्यावरण की स्थिति का आंकलन करने में सक्षम होना चाहिए और पर्यावरण की क्षति का निवारण करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। दैनिक जीवन में सामान्य बदलाव पर्यावरण को सुधारने में ये बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है। इसलिए पर्यावरण शिक्षा एक समूह या समाज तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति को पर्यावरण के बचाव सम्बन्धी जानकारी होनी चाहिए। अगर बच्चों को पर्यावरणीय प्रदूषण, मृदा अपरदन और संकटग्रस्त पौधों एवं विलुप्त जावनरों के बचाव तथा संरक्षण के बारे में सिखाया जाता है तो पर्यावरण के संरक्षण में काफी हद तक सुधार हो सकता है। भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण पर काफी ध्यान दिया गया है। 20 से अधिक विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में पर्यावरण इंजीनियरिंग, संरक्षण और प्रबन्ध, पर्यावरण स्वास्थ्य और सामाजिक विज्ञान जैसे पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता है। भारत सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के समर्थन से अगस्त 1984 में पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थापित किया था। इसके प्रमुख कार्यों में से एक यह है कि पर्यावरण शिक्षा की भूमिका को उचित मान्यता देने का प्रयास किये जाये। बच्चों के पास आज प्राकृतिक दुनिया के बारे में जानने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। इससे न केवल बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है बल्कि उन्हें अपने परिवेश और प्रकृति से विलगाव जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण पर्यावरण की दृष्टि से शिक्षित पीढ़ी के लिए इस शिक्षण की जरूरी आवश्यकताओं में से एक है। इसलिए पर्यावरण शिक्षा को एक पाठयक्रम के रूप में संयोजित करना और छात्रों को बचपन से ही प्रकृति के बारे में अवगत कराना एक सही विकल्प है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, भारत में शिक्षा प्रणाली में पर्यावरणीय पाठ्यक्रम को विशेष स्थान के साथ कई अन्य बदलाव किए गए हैं. इस नीति का मकसद छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है।

निष्कर्ष :– पर्यावरण वह परिवेश है जिसमें हम रहते हैं विभिन्न प्रदूषकों द्वारा हमारे पर्यावरण का प्रदूषित होना पर्यावरण प्रदूषण है। पृथ्वी का वर्तमान चरण जो हम देख रहे हैं, वह पृथ्वी और उसके संसाधनों के सदियों के शोषण का परिणाम है। इसके अलावा, पर्यावरण प्रदूषण के कारण पृथ्वी अपना संतुलन खो रही है। मानव बल ने पृथ्वी पर जीवन का निर्माण और विनाश किया है। मानव ने आधुनिकता और वैज्ञानिकता के नाम पर प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया है। परिणामस्वरूप हमारी धरती प्रदूषित हो गयी है। आज पूरी की पूरी आबोहवा ही प्रदूषित हो गयी है। न पीने के लिए शुद्ध पानी है और न ही सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं केवल और केवल मनुष्य है। मनुष्य प्रजाति ने पेड़ों को काटकर अपने लिए ही समस्या उत्पन्न नहीं की है, अपितु अन्य पशु–पक्षियों से भी उनका निवास छीन लिया है। पर्यावरण को सुरक्षीत रखने के लिए जनभागीदारी की आवश्यकता है। सभी को यह समझने कि आवश्यकता है, कि स्वच्छ पर्यावरण स्वथ्य जीवन का आधार है।

संदर्भ :–

- https://www-swadeshnewsin/swadesh&vishesh/bhartiya&drishti&mein&paryavaran&hemant&muktibodh&820863
- https://www.swadeshnewsin/swadesh-vishesh/bhartiya-drishti-mein-paryavaran-hemant-muktibodh-820863